न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 111/11 निर्णय दिनांकः– 20–12–2019
(आरसीएमएस संख्या 2011/00099)

1. मिश्रीलाल
2. खेताराम
3. टीकचन्द
4. राजेश कुमार

पिसरान देवाराम जाति जाटिया साकिन पीपाड़सिटी तहसील बिलाड़ा जोधपुर हाल चक 4 एसडब्ल्यूएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

5. रामकंवरी पुत्री देवाराम पत्नि रामेश्वरलाल साकिन रेगरों का मौहल्ला, सुजानगढ़।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 20–02–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 20–02–1999 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पिता को चक 4 एसएलएम जो सीएडी प्लान के दौरान चक 4 एसडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 92/53 के किला नम्बर 1 ता 10, 13 ता 15 तादादी 13 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 11 तादादी 1 बीघा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 92/61 के किला नम्बर 1 ता 11 तादादी 11 बीघा

कमाण्ड कुल 24 बीघा कमाण्ड व 01 बीघा अनकमाण्ड भूमि बतौर भूमिहीन दिनांक 27–02–1976 को आवंटन की गई थी। अपीलांट को आवंटन पश्चात् वादगत् भूमि का कब्जा भी प्रदान कर दिया गया था। परन्तु पिछले कई वर्षो से वर्षा न होने के कारण उक्त भूमि पूर्ण रूप से काश्त नहीं कर पाया। इस कारण अपीलांट्स के पिता समय पर किश्तें जमा नहीं करवा सके। अपीलांट्स के पिता व वर्तमान में अपीलांट्स द्वारा बकाया किश्तें जमा करवाने हेतु कभी इंकार नहीं किया व अपीलांट्स आज दिनांक को भी बकाया किश्तें जमा करवाने को तैयार है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पिता का आवंटन किश्तों के अभाव में दिनांक 20–02–1999 को खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट्स के पिता की मृत्यु दिनांक 07–01–1995 को ही हो चुकी थी। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में यदि अपीलांट्स के पिता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है।

उन्होनें आगे बताया कि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत आदेश होने के कारण निरस्त योग्य आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश केवल मात्र तहसील की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया आदेश है। अदालत मातहत द्वारा अपने स्तर पर कोई नोटिस व सूचना अपीलांट्स के पिता को नहीं दी गई है। अपीलांट आज भी वादगत् भूमि की किश्तें जमा करवाने हेतु तैयार है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–02–1999 के विरूद्व अपील दिनांक 01–06–11 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई

संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–02–1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 01–06–2011 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पिता को चक चक 4 एसएलएम जो सीएडी प्लान के दौरान चक 4 एसडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 92/53 के किला नम्बर 1 ता 10, 13 ता 15 तादादी 13 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 11 तादादी 1 बीघा अनकमाण्ड एवं मुरब्बा नम्बर 92/61 के किला नम्बर 1 ता 11 तादादी 11 बीघा कमाण्ड कुल 24 बीघा कमाण्ड व 01 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटित भूमि की किश्तें जमा नहीं करवाई गई। इस संबंध में संबंधित तहसीलदार से वादगत् भूमि की रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि अपीलांट के विरूद्व 17172/– रूपये किश्त पेटे बकाया है।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में अपीलांट स्वयं अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आया व ना ही वादगत् भूमि के बाबत् बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई। जिसके फलस्वरूप अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का रकबा किश्तों के अभाव में दिनांक 20–02–1999 को निरस्त कर दिया गया।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस जारी करते हुए बकाया राशि जमा कराने हेतु लिखा गया था। परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट पर तामील होने के संबंध में कोई रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट्स के पिता की मृत्यु वर्ष 1995 में हो चुकी थी। ऐसी अवस्था में अदालत मातहत द्वारा यदि अपीलांट्स के पिता को नोटिस जारी भी किये गये है तो उनकी तामीली संभव नहीं थी। प्रकरण में अपीलांट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् जमाबन्दी संवत् 2074–2077 प्रस्तुत की गई है जिसके अवलोकन से साबित है कि वादग्रस्त भूमि आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को न्यायहित में बकाया राशि जमा करवाने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाना उचित पाते है।

7. लिहाजा उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट्स से बकाया राशि जमा करवाते हुए रकबा बहाल करने की कार्यवाही करें। अपीलांट्स को जरिये अभिभाषक निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05–02–2020 को पेश हो।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20–12–2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामरतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2019.12.27 16:40:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: